

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2240/2012/भीलवाडा

श्री भीमसिंह, बडादातंडा, भीलवाडा
बनाम

.....अपीलार्थी

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा
2. उपायुक्त (अपील्स), भीलवाडा।

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.पी.शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03.10.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 12.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत पारित आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में आवाकजावा ब्रिक्स कर मुक्त क्रय की जाकर संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गई, जिन पर शिड्यूल-2 के अन्तर्गत All Kinds of Bricks पर वैट कर दर 4 प्रतिशत से देय होने के कारण कर निर्धारण करते हुए करारोपण किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पेश की गई, अपीलीय प्राधिकारी ने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 01.10.2014 को राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम, 2005 के नियम 35 के तहत पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा लेखो से समर्थित कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं करने से मूल कर निर्धारण आदेश को यथावत रखा।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रकरणों में उप राजकीय अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति प्रकट करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 12.09.2012 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये हैं, जिनकी पालना में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक 01.10.2014 द्वारा विस्तृत

लगातार.....2

आदेश पारित कर दिया है। चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह विवादित अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना होने से अस्तित्व में नहीं हैं, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:-

- (i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
- (ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै० केशरीलाल (1991) 9 आर. टी.जे.एस 8 । (राज.)
- (iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं० (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं०, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

6. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।


7. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दिनांक 12.09.2012 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 01.10.2014 को कर दिया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है :-**

"In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

8. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) से भी मेल खाते हैं। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक **01.10.2014** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है।

परिणामतः अपील "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।


 3.10.2016
 (मदन लाल)
 सदस्य